


1/11/18 11:18 AM 94 7




श्री. लाली

21/11/18

पत्रावली पेशदारी वादिया स्वयं उप। वादिया ने बैंच सदस्यों के
समक्ष लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर शर्पना पत्र
वास्तु कार्यवाही शीप प्रस्तुत कर वादु कार्यवाही इसी स्तर पर
समाप्त किए जाने का निर्देश दिया। वादिया को सुना गया।
बैंच सदस्यों द्वारा लोक अदालत की भावना का सम्मान
करते हुए शर्पना पत्र स्वीकार किए जाने का निर्देश दिया
गया। अतः शर्पना पत्र वास्तु कार्यवाही शीप स्वीकार किया
जाकर पत्रावली वादु पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की
जाती है। पत्रावली फाइल शुमार है। नेकर से कम होकर शामिल
दस्ता है।


अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय


लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

